

27-9-2023

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण आज निर्णित होकर खारिज हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

